कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2079/25.व.भू   दिनांक 31/07/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः— **बागेश्वर में रावतसेरा—डोबरगढ़ा—धारी—मध्या—रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.425 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः— आपका पत्रांक 5283/12—1—2 बागेश्वर दिनांक 28.06.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके कार्यालय पत्र सं0 1444/12—1—2 बागे0 दि0 07.11.2020 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। पॉच वर्ष से अधिक समय से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि रू0 8,44,409.00 की मॉग की गई थी, जिसे (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No-SBIN423270688200 dtd 27.09.2023 द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की देय धनराशि जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न— सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

भवदीय,
31/07/24

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

डिस्पैच प्राप्त 02/8/2024
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

उत्तराखण्ड शासन
फोन / फैक्स नं0–05963–220006

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर।

PWD Uttarakhand
E-mail id- pdpwdbgr@gmail.in

पत्रांक 3834/कैश

दिनांक 27/09/2023

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगाड़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (5 किमी0) होते हेतु अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा करने हेतु कोषागार बागेश्वर से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैकर्स चैक सं0– 639450 दिनांक 18.09.2023 ₹ 844409.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0– 150896116306380 IFSC Code- UBIN0996335 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :– बैकर्स चैक सं0–639450 दिनांक 18.09.2023 ₹ 844409.00 मात्र मूल में।

SBIN423270688200

(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

पत्रांक :– /कैश, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता प्रभारी, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेष्वर।

Q-156
A Voucher
BHC

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

भारतीय स्टेट बैंक, बागेश्वर शाखा-(01693)
PF ID: 1002482
27 SEP 2023
Posted By
Chked By
Name: MANISHA TIWARI
Signature

C/o Rawatsera Dubongara Bhani madhiya Raitali m/r

AGENCY COPY

Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6116306380
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/248/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	844409/-

Amount in Words :Eight Lakh Forty-Four Thousand Four Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896116306380 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-09-2023

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6116306380
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/248/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	844409/-

Amount in Words :Eight Lakh Forty-Four Thousand Four Hundred and Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896116306380 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:**After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank**

6/9/23

26/09/23

Executive Engineer
Provl. Division P.W.D
Bageshwar

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963-220249 फैक्स नं0 05963-220209

पत्रांक 5283 / 12-2-2 बागेश्वर, दिनांक : 28/06 /2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
बागेश्वर।

विषय – **जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगाड़ा--धारीमध्या--रैतोली मोटर मार्ग के हेतु 2.425 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5-3/2011--FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा--निर्देश जारी किये गये हैं। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2018 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	2.425 है0	5	0.3	1005210.00	24,37,634.00	15,93,225.00	8,44,409.00
कुल योग						**24,37,634.00**	**15,93,225.00**	**8,44,409.00**

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– **05963-220249** फैक्स नं0:– **05963-220209**

पत्रांक / 127-2 बागेश्वर दिनांक : 13/08/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगढ़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.425 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/16306/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/248/2016/ एफ0सी0/1686 दिनांक 12.01.2018।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा **जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगढ़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.425 है0 वन भूमि** को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0 1444/12–1–2 दिनांक 07.11.2020 द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गयी थी। **(छायाप्रति संलग्न)**

सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

भारत सराकर द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावक विभाग द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी की बढ़ोत्तरी धनराशि UTR No.SBIN423270688200 Dtd 27.09.2023 से जमा करवाली गयी हैं (चालान की प्रति संलग्न)

अतः प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचना चार प्रतियों में संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नः– चार प्रतियो।

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

पत्रांक 700 / **दिनांकित ।**

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

AE/LAC
04/09/2024

Nodal adikari

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक /

सेवा में, बागेश्वर दिनांक : / /2020

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगढ़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.425 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ:– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/248/2016/ एफ0सी0 / 1686 दिनांक 12.01.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को चार प्रति में प्रेषित की गयी है उक्त प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ विधिवत स्वीकृति की संस्तुति हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न– आख्या 3 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक 1444 /121-2 दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्यां को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

Nodal adikari

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक / बागेश्वर दिनांक : / /2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगढ़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.425 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/248/2016/एफ0सी0/1686 दिनांक 12.01.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को चार प्रति में प्रेषित की गयी है उक्त प्रस्ताव की तीन प्रतियॉ विधिवत स्वीकृति की संस्तुति हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न– आख्या 3 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक 1554 /121-2 दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्यां को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगढ़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.425 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0/यू0सी0पी0/06/248/2016/एफ0सी0/1686 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या।

<u>अनुपालन आख्या</u>

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तो बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है।

1– शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 4.850 है0 ग्राम दुलम सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 13,51,525.00 मात्र (रू0 तेरह लाख इकावन हजार पॉच सौ पच्चीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं0 U000000472470182 Dtd 29.08.2018 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.850 है0 ग्राम दुलम का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 168/छब्बीस–13वन/2017–18 दिनांक 12.06.2018 द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–109/र0का0/वन भू0ह0/2018 दिनांक 27.10.2018 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण /नामान्तरण कर दिया गया है। (सन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)

2– शर्त सं0 2 के अनुपालन में रू0 15,93,225.00 (रू0 पन्द्रह लाख तिरानबे हजार दो सौ पच्चीस मात्र) एन0पी0वी0 की धनराशि भुगतान UTR नं0 U000000472470182 Dtd 29.08.2018 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।

3– शर्त सं0 3 के अनुपालन में सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की दरें में बढोत्तरी होने पर बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धित वचतबद्वता पहले ही प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। प्रमाण पत्र पुनः संलग्न है।

4– शर्त सं0 4 के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य एवं सभी दूसरी निधियॉ RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कर दी गयी है। बैंक से प्राप्त यू0टी0आर0 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

5– शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।

6– शर्त सं0 6 एवं 7 पार्ट–1 में पुनः ऑनलाईन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित पूर्ण अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति एवं भारत सरकार से भूमि हस्तान्तरण आदेष जारी कराने की कृपा करें।

संलग्न– (1) जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 12.06.2018 की प्रति।
(2) तहसीलदार बागेश्वर के पत्र दिनांक 27.10.2018 खतोनी की प्रति सहित।
(3) RTGS/NEFT फार्म की प्रति।
(4) शासनादेश की प्रति संलग्न है।
(5) प्रमाण पत्र।
(6) एन0पी0वी0 बिल की प्रमाणित प्रति।
(7) मल्ला धारी की VLC
(8) NPV Calculation Sheet

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

आदेश

उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार पर जनपद,बागेश्वर में जनपद,बागेश्वर के अंतर्गत रावतसेरा –डोबरगढा –धारी–मध्या –रैतोली मोटरमार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 2.425 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 4.850 है0 जो ग्राम दुलम राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र,लोहारखेत तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–47 के पैमाईशी खेत नम्बर 4644 रकवा 13.313 है0 मध्ये 4.850 है0 भूमि जो श्रेणी 9 (3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या–2173/xviii (II) 2012–18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा शासकीय पत्र संख्या 08 बी/यू0सी0पी0/06/248/2016 /एफ0सी0 /1686 दिनांक 12.01.2018 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या – 168 / छब्बीस –13 वन /2017–18 दिनांक 12/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
2– उपजिलाधिकारी,कपकोट ।
3– अधिशासी अभियंता,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
4– तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक –एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

11/06/18

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

वन भूमि सहायक

15/6/18

Photo Copy Attested
19/10/2020
Assistant Engineer
P.D. P.W.D Bageshwar

18/6/18

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या–109 / र०का० / वन भू0ह० / 2018 दिनांक 27 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

पंजी. नं. 259
डायरी नं 3144
दिनांक 02-11-18
बागेश्वर

विषय– **जनपद बागेश्वर में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत रावतसेरा– डोबरगढा– धारी मध्या –रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त 2.425 है० की दुगुनी अवनत भूमि 4.850 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या– 168 / छब्बीस– 13 वन / 2017–18 दिनांक 12 / 6 / 18 के अनुपालन में ग्राम दुलम राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र लोहारखेत तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 47 के पैमायशी खेत नं० 4644 रकवा 13.313 है० मध्ये 4.850 है० श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण दर्ज कर खतौनी उद्धरण मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :–

(1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण के अवलोकनार्थ प्रेषित।
(2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण प्रेषित।

तहसीलदार
कपकोट।

वन भूमि सहा०

Photo Copy Attested
19/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

ग्राम – इकना रा० कु० नि० क्षेत्र – लोहारखेत तह० – कपकोट जनपद – बागेश्वर

श्रेणी – 9(3) ख जंगल

क्र० खा० संख्या	नाम खातेदार	मौरूसी	खेत नम्बर	रकबा	लगान	अन्य विवरण
47	जंगल		2622 2623 2624 2625 कमशः 4640 4641 4642 4644 4646 4647 कमशः 4653 4655	0.745 2.158 5.438 2.250 5.253 4.500 3.600 13.313 8.125 7.875 1.313 6.625		सु० आ० श्रीमान जि० अ० बागेश्वर क्र० 1509 / [illegible] वन / [illegible] 12-03 दि० 24.4.0 के F.A. के [illegible] के पाद खेत नम्बरान [illegible] न मिलने पर [illegible] के बदले [illegible] के खा० नं० 47 [illegible] के कुल 151.440 है० वन [illegible] के नाम नामान्तरण किया है। ह० अ० प० लोहारखेत 25/5/02 श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बागे० के आ० सं० 168/दस्तावेज-13 वन 2017-18 दिनांक 12/6/18 के जनपद बागेश्वर में जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत, शावलसेरा डावरमडा थाटी मध्या [illegible] मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 2.425 है० की दुगुनी प्रतिकरात्मक भूमि 4.850 है० ग्राम इकना के गै० ज० वि० खतौनी खा० सं० 47 के पै० खे० सं० 4644 रकबा 13.313 है० मध्ये 4.850 है० भूमि जो श्रेणी 9(3) ख: जंगल के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश सं० 2173 XVIII(II) 2012-18 (120) 2012 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 तथा शासकीय पत्र सं० 08 बी०/सी०/पी०/06/248/2016 एवं सं० 1666 दि० 12-1-18 में दी गयी शर्तों के अधीन प्रतिकरात्मक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित की। ह० अप० रा० नि० [illegible] लोहारखेत
	योग		29	162.193		

निवेदन – तैयार किया।

प्रतिहस्ताक्षरी।

[signature] 18/10/18

Photo Copy Attested
[signature] 19/10/20
Assistant Engineer

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-08-2018

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6116306178
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/248/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	5033885/-

Amount in Words :Fifty Lakh Thirty-Three Thousand Eight Hundred and Eighty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896116306178 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 24-08-2018

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6116306178
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/248/2016/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	5033885/-

Amount in Words :Fifty Lakh Thirty-Three Thousand Eight Hundred and Eighty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896116306178 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Photo Copy Attested
19/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/248/2016/एफ0सी0/1686 दिनांक: 12/01/2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगढ़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.425 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 1175/X-4-16/1(371)/2016 दिनांक 05.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/16306/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– **बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगढ़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.425 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.850 है0 ग्राम–दुलम सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will provide original/attested copy of Village Level Committee proceedings of village Malla Dhari.
7. State Govt. will provide the NPV calculation sheet for open forest area.

Photo Copy Attested

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकारें द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.850 है0 ग्राम–दुलम सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 92 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

/

(कमल प्रीत)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(कमल प्रीत)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

प्रपत्र– 51

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगड़ा धारी–मध्या–रैंतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/ भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

Photo Copy Attested
19/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

2.12

प्रपत्र– 46

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगड़ा धारी–मध्या–रैंतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

पथ वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

<u>पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन</u>

–––प्राक्कलन संलग्न हैं–––

वन क्षेत्र अधिकारी धरमघर	उपप्रभगीय वनाधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर

Photo Copy Attested
19/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

1808-CCL...

Core Treasury System (CTS UK)

E-Cheque Advise

Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CC8900180808180024 Date :27-AUG-18

Div Code	:	1808	**Division Name**	:	Provincial Division P.W.D.
Grant No.	:	PAC	**Scheme**	:	[illegible]4043370304 NV
Code	:	XXXXX1234[illegible]	**Name**	:	Uttranchal CAMPA
Payment Type	:	Final Bill	**Project Name**	:	N.P.B [illegible]JECTS PAYMEN[illegible] [illegible]0540[illegible]307)

ALLOTED AMT : 74784940 EXPENDITURE AMT : 59382954 REMAINING AMT : 15401[illegible]

To,

CTO/Sr.TO/TO/STO
Bageshwar

Please pay to Uttranchal CAMPA
Corporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No.150896116306178 as per detail below.

1.	In Contractor Bank A/C	5033885
	Total Payment	5033885

Amount in words : (Rs. Fifty Lac Thirty-Three Thousand Eight Hundred Eighty-Five Only.)

Detail given above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal — DAO/Sr.DAO Provincial Division P.W.D. Bageshwar

Signature with Seal — Executive Engineer PD PWDBageswar

Photo Copy Attested
19/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

For Treasury Use

Voucher No.
Voucher Date. / /

ID :CC8900180808180024 Date :27-AUG-18

Passed Amount Rs. : 5033885.00

Payment Id :

Amount in words : (Rs. Fifty Lac Thirty-Three Thousand Eight Hundred Eighty-Five Only.)

Bank Amount Rs. : 5033885.00 Amount By TC Rs. : 0.00

Accountant Signature ATO Signature CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगढ़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–धारी–II, ग्राम–मल्ला धारी
तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में रावतसेरा–डोबरगढ़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.646 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.427 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.352 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.425 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम– मल्ला धारी द्वारा दिनांक 24-11-18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धारी मल्ला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

Photo Copy Attested
19/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

ह0/
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
धारी II
वि0ख0 बागेश्वर 28-12-18
जनपद बागेश्वर

जानकी देवी ह0/
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत धारी II
वि0 ख0 बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र--30.1

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगढ़ा–धारी–मध्या–रैतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनाक............................को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम–धारी–।।, ग्राम–मल्ला धारी

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	लक्ष्मण सिंह राठौर	[illegible]
	रूप सिंह राठौर	रूप सिंह
	गुसाईं सिंह राठौर	गुसाईं सिंह
	निर्मला देवी रावल	निर्मला देवीरावल
	गोपाल सिंह	गोपालसिंह
	बलवन्त सिंह	बलवन्तसिंह
	भगवत सिंह	भगवतसिंह
	मोहन सिंह मेहता	[illegible]
	पुष्कर सिंह रावल	पुष्कर सिंह
	सरस्वती देवी	सरस्वती देवी
	हेमा देवी	हेमा देवी
	गोपाल सिंह बिष्ट	गोपालसिंह
		[thumb impression]
	भवानी देवी बिष्ट	नि. भवानी देवी
	चंचल सिंह	चंचल सिंह
	जानकी देवी	जानकी देवी
	लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
	बिमला देवी	बिमला देवी
	राधा देवी मेहता	राधा देवी

जानकी देवी

प्रधान
ग्राम पचायत धारी II
वि० ख० बागेश्वर

Photo Copy Attested
19/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

प्रपत्र– 50

परियोजना का नामः– **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगड़ा धारी–मध्या–रैंतोली मोटर मार्ग का निर्माण।**

एन0पी0वी0 की धनराशि का प्राकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 मे उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1– ईको क्लास श्रेणी – पांच (V)

2– हरियाली का घनत्व. – 0.3

3– एन0पी0वी0 की दर प्रति है0 – रू0 8.45 लाख

4– आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल – 2.425 है0

5– कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि––– रू0 20,49,125.00 मात्र

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

वनक्षेत्राधिकारी

Photo Copy Attested
19/10/2020
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

नोट– उक्त सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर